

(कार्यालय आयुक्त नगर परिषद एवं सदस्य सचिव IRGY-Urban सवाई माधोपुर)

क्रमांक : - नपसमा / IRGY-Urban / सं.भ. / 2022-23 / 3053


दिनांक-08/06/22

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा जारी विस्तृत विज्ञप्ति क्रमांक 3869...दिनांक 08.6.2022 जो जिला वेबसाइट पर उपलब्ध है, के अनुसार मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2022-23 के अन्तर्गत लागू इंदिरा गॉधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु इस जिले की नगर परिषद / नगर पालिकाओं (सवाई माधोपुर, गंगापुर, बामनवास) में कार्मिक विभाग कि अधिसूचना संख्या एफ 17 (4) डीओपी / ए-2 / 2014 दिनांक 11.01.2022 के अनुसार निम्न पदों के लिए संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

निकाय का नाम	पद का नाम	मानदेय प्रति माह	विज्ञापित पदों की संख्या (वर्गवार) विवरण	शैक्षणिक योग्यता
नगर परिषद सवाई माधोपुर एवं नगर पालिका गंगापुर सिटी व बामनवास	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	40000रु	सामान्य-1 एस.टी-1 एस.सी-1	सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री
	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिग्री)	30000रु	सामान्य-2 सामान्य महिला-1 ओबीसी सामान्य -1 एस. सी-1 एस.टी-1	सिविल अभियांत्रिकी डिग्री
	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमा)	30000रु	सामान्य-1 एस.टी-1	सिविल अभियांत्रिकी डिप्लोमा
	लेखा सहायक	25000रु	सामान्य-2 सामान्य महिला-1 ओबीसी सामान्य -1 एस. सी-1 एस.टी-1	बी.कॉम / सी.ए इन्टरमिडिएट (आई.पी.सी.) I.C.W.A (इन्टर) / कम्पनी सैक्रेटरी (इन्टर)
	MIS मैनेजर	15000रु	सामान्य-2 ओबीसी सामान्य -1 एस.सी-1 एस.टी-1	बी.सी.ए (बैचलर ऑफ कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन)
	शहरी रोजगार सहायक	15000रु	सामान्य-5 सामान्य महिला-1 एस.सी-1 एस.टी-1 ओबीसी सामान्य -2	स्नातक+RS-CIT

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन मय स्व:प्रमाणित शैक्षणिक योग्यता/जाति प्रमाण-पत्र के दस्तावेजों सहित दिनांक 30.06.2022 को सायं 6:00 बजे तक कार्यालय आयुक्त नगर परिषद सवाई माधोपुर में व्यक्तिशः/डाक से प्रस्तुत कर सकते हैं। डाक से भिजवाते समय यह सुनिश्चित कर लेवे कि डाक नियत तिथि व समय पर कार्यालय में पहुँच जावे। अन्तिम दिनांक 30.06.2022 सायं 6:00 के पश्चात् व्यक्तिशः/डाक से प्राप्त होने वाले आवेदनों पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। विज्ञप्ति से संबंधित विस्तृत विज्ञप्ति/ आवेदन पत्र/अन्य सूचनाएं/निर्देश जिला वेबसाइट Sawaimadhohpur.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।


जिला कलेक्टर एवं
जिला परियोजना समन्वयक
सवाई माधोपुर

क्रमांक: IRGY-Urban / सं.भ. / 2022-23 / 3054-68

दिनांक :- 08/06/22

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय/श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक महोदय सवाई माधोपुर।
3. श्रीमान् उपनिदेशक महोदय (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग भरतपुर
4. श्रीमान् मुख्य अभियंता(सिविल) / वित्तीय सलाहकार/परियोजना निदेशक/संयुक्त निदेशक(जन सम्पर्क)/एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज. जयपुर।
5. श्रीमान् सभापति महोदय नगर परिषद सवाई माधोपुर।
6. आयुक्त नगर परिषद गंगापुर सिटी/अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका बामनवास।

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, सवाई माधोपुर – राज0

क्रमांक: IRGY-Urban / सं.भ. / 2022-23 / 3869

दिनांक :- 08/06/22

“इन्दिरा गॉंधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के विभिन्न पदों के लिये संविदा आधार पर सीधी भर्ती 2022

विस्तृत-विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2022-23 के बिन्दू सं0 6 पर की गई घोषणान्तर्गत “इन्दिरा गॉंधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY-Urban)” विभागीय क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 56 (क) () सी.ई. / डीएलबी / IRGY-Urban / 2022-23 / 30025-30250 दिनांक 06.05.2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका के बिन्दू संख्या 10 के अनुसार, पत्र क्रमांक एस्टे/एम/एफ.10 () / आरएमएस (टी) / डीएलबी / 2022 / 3692-3724 दिनांक 31.05.2022 एवं एस्टे/एम/एफ.10 () / आरएमएस (टी) / डीएलबी / 2022 / 5818-51 दिनांक 01.06.2022 के निर्देशानुसार तथा कार्मिक विभाग राज0 सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 17 (4) डीओपी / ए-2 / 2014 दिनांक 11.01.2022 की अनुपालना में सवाई माधोपुर जिले की समस्त नगरीय निकायों (सवाई माधोपुर, गगापुर सिटी, बामनवास) में कार्मिकों की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई संविदा आधार पर / अनुबंध आधारित कार्मिकों का चयन करने हेतु निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

अ. पदों का विवरण –

क्र. सं.	पदनाम	N o. of P o s t (s)	Gen. (UR)				E.W.S.				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				Horizontal Reservation		
			सा. मा. य	स. मा.	वि. वा. टा	परि. यक्त	सामा. न्य	सा. म.	वि. वा. टा	परि. यक्त	सामा. न्य	सा. म.	वि. वा. टा	परि. यक्त	सामा. न्य	सा. म.	वि. वा. टा	परि. यक्त	सा. मा. य	सा. म.	वि. वा. टा	परि. यक्त	सामा. न्य	सा. म.	वि. वा. टा	परि. यक्त	विशेष टा योग्य जन; (B.L.V)	Ex - Se rvice Men	उत्कृष्ट खिलाड़ी
1	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्ली)	6	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमा)	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4	लेखा सहायक	6	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	M.I.S. मैनेजर	5	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	शहरी रोजगार सहायक	10	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-

शैक्षणिक योग्यता एवं देय मानदेय -

क्र. सं.	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	प्रतिमाह मानदेय (संविदा पर)
1	वरिष्ठ तकनीकी सहायक	सिविल अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर/स्नातक डिग्री	40000/-
2	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	सिविल अभियांत्रिकी डिग्री/डिप्लोमा	30000/-
3	लेखा सहायक	बी.कॉम/सी.ए. इन्टरमिडिएट (आई.पी.सी.) I.C.W.A. (इन्टर)/कम्पनी सैक्रेटरी (इन्टर)	25000/-
4	M.I.S. मैनेजर	BCA बैचलर ऑफ कम्प्यूटर ऐप्लीकेशन	15000/-
5	शहरी रोजगार सहायक	स्नातक + RSCIT कोर्स	15000/-

इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन मय स्व-प्रमाणित शैक्षणिक/आयु/जाति प्रमाण पत्र/सन्तान संबंधी शपथ-पत्र/जन्म-प्रमाण पत्र/ मूल निवासी प्रमाण पत्रों के दस्तावेजों सहित दिनांक 30.06.2022 को सायं 6:00 बजे तक कार्यालय समय में नगर परिषद सवाई माधोपुर में IRGY-Urban CELL व्यक्तिशः/रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञप्ति/निर्देश कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, नगर परिषद सवाई माधोपुर के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। तथा जिला कलेक्टर एवं परियोजना समन्वयक/नगर परिषद सवाई माधोपुर की वेबसाइट Sawaimadhohpur.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

शर्तें -

- राज्य सरकार के द्वारा इन्दिरा गाँधी शहरी रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश इस विज्ञप्ति का भाग माने जावेंगे।
- इस योजना का प्रशासनिक विभाग,स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार है।
- इस योजनान्तर्गत उक्त संविदा पदों के वर्ग के वर्गीकरण एवं संविदा अनुबन्ध के संबंध में कार्मिक विभाग,राजस्थान सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना/आदेश/परिपत्र आदि के द्वारा प्रदत्त विभिन्न दिशा निर्देशों के तहत आरक्षण रोस्टर के अनुसार है।
- इच्छुक अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिसमें आवेदित पद का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, मूल निवासी, आयु, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता, वर्ग जिसके लिये आवेदन किया गया है, मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी आदि का अंकन करते हुए तथा जाति,मूल निवासी, आयु, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, स्थायी पता, वर्ग तथा सन्तान संबंधी घोषणा-पत्र आदि सभी दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप नगर परिषद (इन्दिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना-प्रकोष्ठ) कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

5. उक्त संविदा सेवायें पूर्णतया अनुबंध पर आधारित है जिसकी अवधि वित्तीय वर्ष 2022-23 तक अर्थात् 31 मार्च, 2023 तक प्रथमतः प्रभावी होगी।
6. यदि सेवायें संतोषप्रद नहीं रहती हैं तो अनुबंधित कार्मिक को कभी भी अनुबंध समाप्ति कर सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
7. पदों की संख्या घटाई बढाई जा सकती है।
8. आरक्षित वर्ग के लिये राज्य सरकार के नियमानुसार पद आरक्षित होंगे, एवं विशेष योग्यजन हेतु नियमानुसार आरक्षण देय होगा।
9. 1 जनवरी 2023 को आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व अधिकतम आयु 40 वर्ष मान्य होगी।
10. किसी भी तरह का विवाद होने पर अन्तिम निर्णय जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक सवाई माधोपुर (IRGY-U) का मान्य होगा। तथा किसी भी तरह के विवाद के स्थिति में न्यायिक क्षेत्र सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय होगा।
11. संविदा भर्ती पूर्णतया मैरिट पर आधारित होगी। इसके लिए साक्षात्कार का कोई प्रावधान नहीं है।
12. संविदा अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट तैयार की जावेगी तथा सफल/चयनित अभ्यर्थियों से अनुबन्ध उन्हें आवंटित संबंधित निकाय द्वारा किया जावेगा।
13. संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद हेतु 80 प्रतिशत पद डिग्रीधारियों से तथा 20 प्रतिशत पद डिप्लोमाधारियों से भरे जावेंगे।
14. एक अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही नगरीय निकाय में संविदा अनुबंध किया जावेगा अन्यथा सभी संविदा अनुबंध निरस्त कर दिये जायेंगे।
15. OBC प्रमाण पत्र आवेदन की अन्तिम दिनांक 30.06.2022 से एक वर्ष से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा एवं EWS का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वैध ही मान्य होगा।
16. शहरी रोजगार सहायक संविदा पद हेतु स्नातक + RSCIT उत्तीर्ण होना आवश्यक है परन्तु मैरिट लिस्ट का संधारण केवल स्नातक डिग्री के प्राप्तांक के आधार पर ही किया जावेगा। RSCIT हेतु मैरिट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
17. संविदा भर्ती वरियता के आधार पर की जावेगी तथा पदवार सभी पदों के लिये कुल पदों की पृथक-पृथक कमशः 20 प्रतिशत पदों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जावेगी।
18. संविदा भर्ती हेतु कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है अर्थात् आवेदन निःशुल्क किया जा सकेगा।
19. संविदा से भरे जाने वाले पदों की भर्ती जिले की समस्त स्थानीय निकायों के लिये नगर परिषद सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी एवं नगर पालिका बामनवास संविदा पदों के लिये की जा रही है।
20. संविदा भर्ती किये जाने के उपरांत नगरीय निकायों का आवंटन जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक सवाई माधोपुर द्वारा पदवार वर्गानुसार लॉटरी से किया जावेगा।
21. आवेदक का राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
22. आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 30.06.2022 सायं 6:00 बजे तक रहेगी।
23. राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।
24. महिला हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज प्रवर्गानुसार सामान्य महिला 20 प्रतिशत, विधवा महिला 8 प्रतिशत एवं विवाह विच्छिन्न महिला 2 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उसके संबंधित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला आवेदक है आनुपातिक रूप से समायोजित किया जावेगा।
25. स्पष्टीकरण — किसी वर्ग अनारक्षित पद, सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जावेगा। विवाहित महिला आवेदक का अपने पिता का नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन किमीलियर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
26. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार विधवा महिलाओं के लिये पद आरक्षित है यदि विधवा महिलाएँ पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती हैं तो उनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की प्रथमतः विवाह विच्छिन्न महिलाओं से एवं विवाह विच्छिन्न महिला उपलब्ध नहीं होने पर उसी श्रेणी वर्ग की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र आवेदन की अन्तिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा एवं विवाह विच्छिन्न महिलाओं को न्यायालय द्वारा जारी तलाक की डिग्री प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

भूतपूर्वक सैनिक हेतु —

27. भूतपूर्व सैनिकों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण पद का लाभ देया होगा किन्तु उनके आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पद का लाभ देय नहीं होगा।



28. भूतपूर्वक सैनिक – प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवा मुक्ति के समय आवेदक का चरित्र अच्छा से कम नहीं होना चाहिए। जैसा कि उसकी सेवा मुक्ति में दर्शाया गया हो।
29. प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे नियोजन के लिये अर्हत बना दें।
30. यदि किसी कारणवश भूतपूर्वक सैनिक कार्य ग्रहण नहीं करता है तो ऐसे पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा।

आयु संबंधी छूट—

- (i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- (ii) सामान्य महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- (iii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी।

अन्य योग्यताएँ —


31. स्वास्थ्य — उक्त पद पर भर्ती के लिये उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व जिले के प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

चरित्र —

32. चरित्र — सेवा में सीधी भर्ती के लिये आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे की वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सद्चरित का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अन्तिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त, प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

नियुक्ति की अयोग्यताएँ —

33. किसी भी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किये जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
34. किसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है।
35. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 1.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परन्तु 2 से अधिक बच्चे वाले आवेदक को नियुक्ति के लिये तब तक निरहरित नहीं समझा जावेगा जब तक की 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। परन्तु यह और के जहां किसी आवेदक के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चावर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं और वहां बच्चों की संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई ही समझा जावेगा।
36. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण पत्र निर्देश 09.09.2015 के अनुसार होंगे।


जिला कलेक्टर एवं
जिला परियोजना समन्वयक सवाई माधोपुर

आवेदन पत्र

आवेदक का
फोटो

1. आवेदक का नाम i हिन्दी :-
- ii IN ENGLISH (CAPITAL LETTER) :-
2. पिता/पति का नाम i हिन्दी :-
- ii IN ENGLISH (CAPITAL LETTER) :-
3. लिंग (पुरुष/महिला) :-
4. पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया है :-.....
5. जाति :-
- (संलग्न प्रमाण पत्र क्रमांक))
6. आवेदित वर्ग :-
7. जन्म तिथि :- दिनांक माह वर्ष
- (संलग्न प्रमाण पत्र क्रमांक)
8. आयु (01.01.2023 को) :-
9. मूल निवास :-
10. स्थाई पता :-
-
11. पत्र व्यवहार का पता :-
-
12. मोबाईल नम्बर :-
13. आधार संख्या :-
14. ई-मेल आईडी :-
15. शैक्षणिक योग्यता विवरण :-.....
- (संलग्न प्रमाण पत्र क्रमांक))

शैक्षणिक स्तर	वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक	प्रतिशत	अन्य विवरण
माध्यमिक					
सीनियर सैकेण्डरी					
स्नातक					
डिग्री/डिप्लोमा					
स्नातकोत्तर					

नोट :- समस्त संलग्न दस्तावेज स्व-प्रमाणित साफ-सुधरे एवं छाया-प्रतिलिपि (फोटोकॉपी) होना चाहिए। किसी प्रकार की कांट-छांट, अशुद्धि होने पर एवं दस्तावेज सही दृश्य नहीं होने पर समस्त जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी। प्रत्येक संलग्न दस्तावेज पर क्रमांक अंकित करें।

संलग्न दस्तावेजों की सूची

क्र. स.	दस्तावेज का नाम	दस्तावेज का क्रमांक
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

आवेदक के हस्ताक्षर

शपथ

मैं यह शपथ घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर वर्णित 1 लगायत 15 की समस्त जानकारी सही है, कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। किसी भी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर समस्त जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी। जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक सर्वाई माधोपुर का निर्णय मुझे मान्य होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राप्ति रसीद (कार्यालय उपयोग हेतु)

आवेदक पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री का पद
..... हेतु आवेदन पत्र नगर परिषद कार्यालय में दिनांक को
प्राप्त हुआ जिसका प्राप्ति क्रमांक है।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
नगर परिषद सवाई माधोपुर

परिशिष्ट-4

1. 01.06.2002 को जीवित सन्तानों का विवरण :-

क्र.स.	बच्चे / सन्तानों का नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		
4.		

2. 01.06.2002 के पश्चात् उत्पन्न बच्चों / सन्तानों का विवरण:-

क्र.स.	बच्चे / सन्तानों का नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		
4.		

कुल जीवित बच्चे / सन्तानें :-

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

